



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 1975/माघ 12, 1896
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1975/MAGHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February 1975

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Major Port Trusts (Amendment) Act, 1974 (29 of 1974), the Central Government hereby appoints the 1st day of February 1975 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. PGL-19/74]

नीवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1975

सा० का० नि० 25 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० पी० जी० एल०-19/74]

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies the 1st day of February, 1975 as the date on and from which the provision of the said Act shall apply to the Major Ports of Bombay, Calcutta and Madras.

[No. F. PGL-18/74]

सा. का. नि. 26 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको और जिससे उक्त अधिनियम के उपबन्ध मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महापत्तनों को लागू होंगे।

[सं. फा. पो. जो. एल. 18/74]

G.S.R. 27(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2101—2104 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 451(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 11th November, 1974;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Act, apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Bombay.

2. **Frequency of meetings.**—(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, date and time of its meeting:

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing.

3. **Calling of special meetings.**—The Chairman or in his absence Deputy Chairman if appointed may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

4. **Circulation of agenda etc.**—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees at least three days before the date of the meeting:

Provided that in the case of a special meeting, such Agenda and notes or memoranda thereon shall be circulated at least one day before the date of the meeting.

5. **Discussion of items not included in the agenda.**—The Chairman or in his absence Deputy Chairman, if appointed may, at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. **Poll.**—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

7. **Minutes of the meeting.**—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof as the Chairman or, in his absence Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

Explanation.—For the purposes of this rule and rule 5, the expression "President" shall mean the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves.

8. **Adjournment of meetings.**—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later date which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[No. F. PGL-5/74]

सा० का० नि० 27 (अ).—यतः मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिये प्रक्रिया) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 451 (क) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2101-2104 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है,

और यतः राजपत्र 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था,

और यतः जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होगा.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिये प्रक्रिया) नियम, 1975 है।

(2) ये अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड के अधिवेशनों में किये गये कारबार को लागू होंगे।

2. **अधिवेशनों की आवृत्ति.**—(1) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगा।

(2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय अवधारित करेगा :

परन्तु जहाँ किसी कारणवश बोर्ड ऐसा करने में असमर्थ है, वहाँ उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके अध्यक्ष ऐसा कर सकेगा।

3. **विशेष अधिवेशनों का बुलाया जाना.**—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि नियुक्त किया गया हो, जब कभी वह आवश्यक समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कम तीन न्यासियों के लिखित अनुरोध पर वह ऐसा करेगा।

4. **कार्यसूची आदि का परिचालन.**—बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिये कार्यसूची और उसपर टिप्पण या ज्ञापन यदि कोई हों, अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किये जाएंगे :-

परन्तु विशेष अधिवेशन की दशा में ऐसी कार्यसूची और टिप्पणी या ज्ञापन, अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किये जायेंगे :

5. **उन मधों पर विचार-विमर्श जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं.**—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविकेकानुसार, बोर्ड के अधिवेशनों में से, जिसमें विशेष अधिवेशन भी सम्मिलित हैं, किसी भी अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिये कार्यसूची में सम्मिलित नहीं की गई किसी मद को उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की है या अति आवश्यक है अथवा दोनों ही हैं और उसे किसी पञ्चात्वर्ती अधिवेशन में बोर्ड के विचारार्थ रोक नहीं जा सकता है।

6. **मतदान.**—यदि किसी प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है, तो मत देने वाले न्यासियों के नाम तथा उनके मतों की प्रकृति अधिवेशन के सभापति द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

7. **अधिवेशन के कार्यवृत्त.**—(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी पुस्तक में अभिलिखित किये जाएंगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये की जाएगी और उन पर, यथा साध्यशीघ्रता से, ऐसे अधिवेशन के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और यह कार्यालय समय के दौरान किसी भी न्यासी के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

(2) कार्यवृत्त, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिये अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विशिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

(3) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत्त पुस्तक में अधिलिखित किये जाएंगे।

स्वच्छीकरण.—इस नियम तथा नियम 8 के प्रयोजनों के “लिये अध्यक्ष” पद से अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित न्यासियों में से उन्हीं द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा।

8. **अधिवेशनों का स्थगन.**—अधिवेशन का सभापति, उसकी सहमति से, अधिवेशन ऐसी पञ्चात्वर्ती तारीख तक स्थगित कर सकेगा जिसके बारे में या तो अधिवेशन में आस्थापित किया जाएगा या अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को संसूचित किया जाएगा।

G.S.R. 28(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2097—2099 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 450(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on 11th November, 1974;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received from the public:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the Board of Trustees of the port of Bombay.

2. **Fees payable.**—Every Trustee of the Board, other than the Chairman, Deputy Chairman, or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of—

- (i) rupees thirty for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quantum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof;

Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any calendar month shall not in any case exceed rupees two hundred;

- (ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board, at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

3. **Payment of travelling allowance.**—All outstation Trustees attending any meeting of the Board or any of its committees shall, in addition to such fee as is payable under rule 2, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government but shall not be entitled to receive any daily allowance.

4. **Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government servant.** A Trustee who is a servant of the Government and who attends any meeting of the Board or of any of its committees shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

[No. F. PGL-15/74]

सा० का० नि० 28 (अ).—यतः मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों की फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 450 (इ) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2097—2099 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में

प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है,

और यतः उक्त राजपत्र 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

और यतः जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यायासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975 है।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के उपबन्धों के अध्वधीन, मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड को लागू होंगे।

2. संदेय फीस.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसी कोई अन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है, से भिन्न, बोर्ड का प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हकदार होगा—

(1) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो और कारबार किया गया हो और जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिये तीस रुपये :

परन्तु किसी कैलेण्डर मास के दौरान हुए अधिवेशनों की बाबत किसी न्यासी की संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में 200 रुपये से अधिक नहीं होगी,

(2) बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशन की अनुवर्ती या तैयारी में उसी दिन होने वाले समिति के अधिवेशन से भिन्न, बोर्ड की किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में, जिसमें कारबार किया गया हो और जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिये 15 रु०।

3. यात्रा भत्तों का संदाय.—बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होने वाले और बाहर से आने वाले सभी न्यासी, नियम 2 के अधीन यथा संदेय ऐसी फीस के अतिरिक्त; उस मापमान पर यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के उच्चतम वर्ग को लागू होता है, किन्तु वे कोई दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।

4. ऐसे न्यासी को जो सरकारी सेवक हैं कतिपय भत्तों का संदाय.—ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक है और जो बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होता है, उसको लागू होने वाले सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by section 126, read with sections 42 and 43, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following first regulations, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These regulations may be called the Port of Bombay (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Port Trust of Bombay.

2. **Definitions.**—In these regulations unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "Port" means the port of Bombay;

(c) "section" means a section of the Act.

3. **Form of Receipt under sub-section (2) of section 42.**—Every receipt referred to in sub-section (2) of section 42 shall be given in the form annexed to these regulations.

4. **Period of responsibility and the period of notice under section 43.**—(1) No responsibility shall attach to the Board under section 43 after a period of seven clear working days from the date of taking charge of the goods by the Board, in respect of such goods.

(2) The notice of loss of, or damage to, the goods of which the Board has taken charge shall be given within a period of seven clear working days from the date of taking charge of such goods by the Board.

Explanation.—In computing the period of seven clear working days referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), account shall not be taken of the day of taking charge of the goods.

FORM

(See regulation 3)

BOMBAY PORT

PART I.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

IMPORT

RECEIVED ex S.S. _____ in shed of Berth No. _____
 _____ Dock on the Day/Night/III Shift of _____ 19 _____ the
 undermentioned goods. In respect of damaged/doubtful packages remarks are given in the
 attached remarks list.
 ally Sheet No. _____ Hatch No. _____ Tally Sheet No. _____ Hatch No. _____

Description	Marks and Numbers or Address	Number of packages	Description	Marks and Number or Address	Number of packages
1	2	3	1	2	3

BOMBAY PORT

PART II.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

IMPORT

Remarks List

The following packages were Landed ex S.S. _____
 at No. _____ Shed _____ Dock during Day/
 Night/III Shift of _____ 19 . Their condition is apparently damaged/
 doubtful and they are hereby remarked.

No. of packages	Description of packages	Marks and Numbers	Tally Sheet Number	Remarks
1	2	3	4	5

Date

19

Asstt. Manager/Shed Supdt./Asstt. Shed Supdt.

BOMBAY PORT

PART III.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

EXPORT

RECEIVED from M/s. _____ in shed/open area of _____
 Berth No. _____ Dock on the Day/Night/III Shift of _____ 19
 the undermentioned goods

Sr. No. of Export
Cargo RegisterSr. No. of Export
Cargo Register

Shipping Bill No.

Shipping Bill No.

Description	Marks and Numbers or Address	Number of packages	Description	Marks and Numbers or Address	Number of packages
1	2	3	1	2	3

Date

19

Asstt. Manager/Shed Supdt./Asstt. Shed Supdt.

BOMBAY PORT

PART IV.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963).

Serial No.—

Bombay, dated the—

Application No.

Warrant for the goods noted below, imported per S.S.—
 deliverable to— or order by endorsement hereon, Rent commences
 on the— and all other charges from the date
 of this warrant.

Marks	Numbers	Number of packages	Description of goods	Remarks
1	2	3	4	5

The Port Trust is not liable for loss or damage from natural or unavoidable causes.
 Folio No.—

Manager.

BOMBAY PORT

PART V.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

Port Trust Warehouse Receipt No.—

Date—197

Goods stored in—Warehouse—Dock.

Received from—the following goods
 warehoused by—as per Warehousing Application dated—
 received on

Marks Nos. and Address	Packages	Description as stated	Ship	Remarks
1	2	3	4	5

The Port Trust is not liable for damage or loss from natural or unavoidable causes.

Folio No.—

Manager.

F. [No. PGL-22/74-I]

सा० का० नि० 29(अ).—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42 और 43 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम बार निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये मुम्बई पत्तन न्यास को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “अधिनियम” से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है;
 (ख) “पत्तन” से मुम्बई पत्तन अभिप्रेत है;
 (ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन रसीद का प्ररूप.—धारा 42 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रसीद इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप में दी जाएगी।

4. धारा 43 के अधीन उत्तरदायित्व की अवधि और सूचना की अवधि.—(1) बोर्ड द्वारा माल के सम्भाल लेने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण की अवधि के पश्चात्, ऐसे माल की बाबत, धारा 43 के अधीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(2) उस माल की जिसे बोर्ड ने सम्भाल लिया है, हानि या क्षति की सूचना बोर्ड द्वारा ऐसे माल के सम्भालने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि के भीतर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण.—उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि की संगणना करने में, माल के सम्भालने का दिन नहीं गिना जाएगा।

प्ररूप.

(विनियम 3 देखिए)

मुम्बई पत्तन

भाग 1.—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42 (2) के अधीन रसीद

आयात

नीचे उल्लिखित माल 19.....केके.....दिन/रात्रि/
 तृतीय पारी कोडाक पर बर्थ सं०.....की श्रेष्ठ में एस०एस०
के बाहुय द्वार पर प्राप्त किया। क्षतिग्रस्त/संदिग्ध पैकेजों की
 बाबत टिप्पणियां संलग्न टिप्पणी सूची में दी गई हैं।

अनुमेलन शीट संख्या..... फलका संख्या..... अनुमेलन शीट सं०..... फलका संख्या.....

वर्णन	चिन्ह और सं० या पता	पैकेजों की संख्या	वर्णन	चिन्ह और सं० या पता	पैकेजों की संख्या
1	2	3	1	2	3

तारीख..... 1

सहायक प्रबन्धक/शेड अधीक्षक/सहायक शेड अधीक्षक

सुम्बई पत्तन

भाग II.—सहा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन रसीद प्रायास

टिप्पणी सूची |

19—के—के—दिन को दिन/रात्रि/तृतीय पारी के दौरान डाक—शेड—सं०—पर एस० एस०—को बाह्य द्वार पर निम्नलिखित पेकेज उतारे गए थे। प्रत्यक्षतः बे क्षतिग्रस्त/संदिग्ध है और उनके बारे टिप्पणी दी जाती है।

पैकेजों की सं०	पेकेजों का वर्णन	चिन्ह और संख्या	अनुमेलन शीट सं०	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख—19

सहायक प्रबंधक/शेड अधीक्षक/सहायक शेड अधीक्षक

सुम्बई पत्तन

भाग III.—सहा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन रसीद निर्यात

नीचे उल्लिखित माल 19—के—के—दिन को दिन/रात/तृतीय पारी में डाक—वर्ष सं०—के शेड/खुले क्षेत्र में मौसम से प्राप्त किया।

निर्यात स्थोरा रजिस्टर की क्रम संख्या ————— निर्यात स्थोरा रजिस्टर

पोत परिवहन बिल सं० ————— की क्रम सं० —————

पोत परिवहन बिल सं० —————

वर्णन	चिन्ह और सं० या पैकेजों की सं०	वर्णन	चिन्ह और पैकेजों की सं०
	पता	सं० या पता	सं० या पता
1	2	3	3

तारीख—19

सहायक प्रबंधक/शेड अधीक्षक/सहायक शेड अधीक्षक

मुम्बई पत्तन

भाग 4.—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन रसीद

क्रम सं०—

मुम्बई, तारीख— 197

आवेदन सं०

यहां पृष्ठांकन द्वारा—को या आदेश पर परिदेय—एंस०एंस० द्वारा
आयातित नीचे उल्लिखित माल के लिए वारन्ट/किराया—(तारीख) से और सभी अन्य प्रभार
इस वारन्ट की तारीख से प्रारम्भ होंगे।

चिन्ह	संख्याएं	पैकेजों की संख्या	माल का वर्णन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

प्राकृतिक या अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानियां क्षति के लिए पत्तन न्यास दायी नहीं होगा।

फोलियो सं०—

प्रबन्धक

मुम्बई पत्तन

भाग 5.—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन रसीद

पत्तन न्यास भांडागार रसीद सं०—

तारीख— 197

डाक—भांडागार में संगृहीत माल—
से—द्वारा भांडागारित निम्नलिखित माल प्राप्त किया—(तारीख)
को प्राप्त—तारीख का भांडागारण आवेदन के अनुसार है।

चिन्ह सं० और पता	पैकेज	यथा कथित वर्णन	पोत	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

प्राकृतिक या अपरिहार्य कारणों से होने वाली हानि या क्षति के लिए पत्तन न्यास दायी नहीं होगा।

फोलियो सं०—

प्रबन्धक

G.S.R. 30(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2105—2108 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 452(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely—

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Act, apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Calcutta.

2. Frequency of meetings.—(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, date and time of its meeting:

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing.

3. Calling of special meetings.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman if appointed may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

4. Circulation of agenda etc.—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees at least three days before the date of the meeting:

Provided that in the case of a special meeting, such Agenda and notes or memoranda thereon shall be circulated at least one day before the date of the meeting.

5. Discussion of items not included in the agenda.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman, if appointed may, at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. Poll.—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

7. Minutes of the meeting.—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof as the Chairman or, in his absence Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

Explanation.—For the purposes of this rule and rule 8, the expression "President" shall mean the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves.

8. Adjournment of meetings.—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later date which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[No. F. PGL-23/74]

सा० का० नि० 30(अ).—यतः कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन व्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 452 (ड) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2105-2108 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है;

और यतः उक्त राजपत्र 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

और यतः जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 है ।

(2) ये अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये कलकत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड के अधिवेशनों में किए गए कारबार को लागू होंगे ।

2. **अधिवेशनों की आवृत्ति.**—(1) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगा ।

(2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय अवधारित करेगा :

परन्तु जहां किसी कारणवश बोर्ड ऐसा करने में असमर्थ है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके अध्यक्ष ऐसा कर सकेगा ।

3. **विशेष अधिवेशनों का बुलाया जाना.**—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, जब कभी वह आवश्यक समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कम तीन न्यासियों के लिखित अनुरोध पर वह ऐसा करेगा ।

4. **कार्यसूची आदि का परिचालन आदि.**—बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिए कार्य-सूची और उस पर टिप्पण या ज्ञापन यदि कोई हो, अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किए जाएंगे :

परन्तु विशेष अधिवेशन की दशा में ऐसी कार्यसूची और टिप्पण या ज्ञापन अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए जाएंगे ।

5. उन मर्कों पर विचार-विमर्श जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविवेकानुसार, बोर्ड के अधिवेशनों में से, जिसमें विशेष अधिवेशन भी सम्मिलित है, किसी भी अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची में सम्मिलित नहीं की गई किसी मद को उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की है या अति-आवश्यक है अथवा दोनों ही हैं और उसे किसी पश्चात्तवर्ती अधिवेशन में बाई के विचारार्थ रोकना नहीं जा सकता है ।

6. मतदान.—यदि किसी प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है, तो मत देने वाले न्यासियों के नाम तथा उनके मतों की प्रकृति अधिवेशन के सभापति द्वारा अभिलिखित की जायगी ।

7. अधिवेशन के कार्यवृत्त—(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए की जाएगी और उन पर, यथासाध्यशीघ्रता से, ऐसे अधिवेशन के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह कार्यालय समय के दौरान, किसी भी न्यासी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(2) कार्यवृत्त, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिए अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विशिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान, जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(3) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत्त-पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम तथा नियम 8 के प्रयोजनों के लिए “अध्यक्ष” पद से अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित न्यासियों में से उन्हीं द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा ।

8. अधिवेशनों का स्थगन.—अधिवेशन का सभापति, उसकी सहमति से, अधिवेशन ऐसी पश्चात्तवर्ती तारीख तक स्थगित कर सकेगा जिसके बारे में या तो अधिवेशन में आख्यापित किया जाएगा या अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को संसूचित किया जाएगा ।

[सं० फा० बा० जी० एन०-3/74]

G.S.R. 31(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2093—2095 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 449(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the Board of Trustees of the port of Calcutta.

2. **Fees payable.**—Every Trustee of the Board, other than the Chairman, Deputy Chairman, or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of—

(i) rupees thirty for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quorum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof;

Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any calendar month shall not in any case exceed rupees two hundred;

(ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board, at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

3. **Payment of travelling allowances.**—All outstation Trustees attending any meeting of the Board or any of its committee shall, in addition to such fee as is payable under rule 2, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government but shall not be entitled to receive any daily allowance.

4. **Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government servant.**—A Trustee who is a servant of the Government and who attends any meeting of the Board or of any of its committees shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

[No. F. PGL-24/74]

सा० का० नि० 31 (अ).—यतः कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अवैधित भारत सरकार के निवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 449(ड०) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 6 फरवरी, 1974 पृष्ठ 2093—2095 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य था,

और यतः उक्त राजपत्र 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

और यतः जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम 1975 है।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन, बलवत्ता पत्तन के न्यासी बोर्ड को लागू होंगे ।

2. **संदेय फीस.**—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसा कोई अन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है, संश्लेषित बोर्ड या प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हकदार होगा—

(1) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो और कारबार किया गया हो और जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिये तीस रुपये :

परन्तु किसी कैलेण्डर मास के दौरान हुए अधिवेशनों की बावत किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में 200 रु० से अधिक नहीं होगी,

(2) बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशन की अनुवर्ती या तैयारी में उसी दिन होने वाले समिति के अधिवेशन से भिन्न, बोर्ड की किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में, जिसमें कारबार किया गया हो और जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिये 15 रुपये ।

3. **यात्रा भत्तों का संवाय.**—(1) बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होने वाले और बाहर से आने वाले सभी न्यासी, नियम 2 के अधीन यथा संदेय ऐसी फीस के प्रतिरिवत, उस मापमान पर यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के उच्चतम वर्ग को लागू होता है, किन्तु वे कोई दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे ।

4. **ऐसे न्यासी को जो सरकारी सेवक है कतिपय भत्तों का संवाय.**—ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक है और जो बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होता है, उसको लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसरण में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा ।

[सं० फा० पी० जी० एल०-24/74]

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by section 126, read with sections 42 and 43, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following first regulations, namely :—

1. **Short title, commencement and application.**—These regulations may be called the Port of Calcutta (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.

(a) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(b) They shall apply to the Port Trust of Calcutta.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) ;

(b) "Port" means the port of Calcutta ;

(c) "Section" means a section of the Act.

3. **Form of Receipt under sub-section (2) of section 42.**—Every receipt referred to in sub-section (2) of section 42 shall be given in the form annexed to these regulations.

4. **Period of responsibility and the period of notice under section 43.**—(1) No responsibility shall attach to the Board under section 43 after a period of seven clear working days from the date of taking charge of the goods by the Board, in respect of such goods.

(2) The notice of loss of, or damage to, the goods of which the Board has taken charge shall be given within a period of seven clear working days from the date of taking charge of such goods by the Board.

Explanation.—In computing the period of seven clear working days referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), account shall not be taken of the day of taking charge of the goods.

FORM

(See regulation 3)

CALCUTTA PORT TRUST

PART I.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

RECEIPT FOR IMPORT CARGO

Receipt No.

Landed during $\frac{1st}{2nd}$ Shift of the day
of 19 from the
(name of vessel)

by the Board of Trustees for the Port of Calcutta the following packages, contents and state the contents unknown.

Marks	Description	Number of packages	Total number of packages	Defective packages and their condition and number
		Packages unnumbered to be stroke tallied five in a division		

Total number of packages to be written in figures and words

Shed Clerk Tally Supervisor Decks Manager/Supdt. J. & W.

Words not applicable to be scored out.

CALCUTTA PORT TRUST

PART II.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

Not Negotiable

Receipt No.

Received the undernoted packages from Lorry/Cart/Trailer/Boat/Wagon No.
for stock/for carriage by rail at.....

(receiving point)

A/c.
(Name of Party)

Marks	Numbers	Description	Quantity	Remarks (Damage/Deficiency, if any, to be mentioned under this column)
-------	---------	-------------	----------	---

Dated Calcutta

The day of 19

Docks Manager
Supdt. J. & W.
Supdt. T.W.H.
Supdt. K.F.
Supdt. Coal

Words not applicable to be scored out.

CALCUTTA PORT TRUST

PART III.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

Not Negotiable

Receipt No.....

Received the undernoted packages from Lorry/Cart/Trailer/Wagon/Boat No.....

..... at A/c.....

(receiving point) (name of Party)

Dock Challan No..... for shipment per.....

(name of vessel)

Marks	Numbers	Description	Quantity	Remarks (Damage/Deficiency, if any, to be mentioned under this column)
-------	---------	-------------	----------	---

Dated, Calcutta

The..... Day of..... 19.....

Docks Manager
Supdt. J. & W.
Supdt. Coal

Words npt applicable to be scored out.

No. PGL-22/74-II]

सा० का० नि० 32(प्र).—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42 और 43 क साथ पठित धारा 127 द्वारा प्रवृत्त एवक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम बार निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना:—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कलकत्ता पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये कलकत्ता पत्तन न्यास को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ;

(ख) “पत्तन” से कलकत्ता-पत्तन अभिप्रेत है ;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन रसीद का प्ररूप—धारा 42 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रसीद इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप में दी जाएगी ।

4. धारा 43 के अधीन उत्तरदायित्व की अवधि और सूचना की अवधि.—(1) बोर्ड द्वारा माल के संभालने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि के पश्चात्, ऐसे माल की बाबत, धारा 43 के अधीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(2) उस माल की, जिस बोर्ड ने संभाल लिया है, हानि की या क्षति की सूचना बोर्ड द्वारा ऐसे माल के संभालने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि के भीतर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि की संगणना करने में, माल के संभालने का दिन नहीं गिना जाएगा ।

प्ररूप

(विविधम 3 देखिए)

कलकत्ता पत्तन न्यास

भाग 1.—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन रसीद

आयात स्पोरा के लिए रसीद

रसीद सं०

निम्नलिखित पैकेज, अन्तर्वस्तुएं और अज्ञात अन्तर्वस्तुएं कलकत्ता पत्तन के लिए न्यासी को
द्वारा से 19 के

(जलयान का नाम)

..... दिन की प्रथम/द्वितीय/तृतीय पारी के दौरान उतारे गए।

चिह्न	वर्णन	पैकेजों की संख्या (असंख्यांकित पैकेज एक खंड में एक बार में पांच गिने जाएंगे)	पैकेजों की कुल संख्या	क्षतिग्रस्त पैकेज और उनकी हालत तथा संख्या
-------	-------	--	-----------------------	---

पैकेजों की कुल संख्या
अंका और शब्दों में
लिखी जाएगी।

शेड लिपिक

अनुमेलन पर्यवेक्षक

आक प्रबन्धक/अधीक्षक जे० एच० उड्डे०

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दीजिए।

कलकत्ता पत्तन स्यास

भाग--II.--महा पत्तन स्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन
रसीद

रसीद सं०

अपरकाय्य

स्टाक के लिए/..... पर रेल द्वारा ले जाने के लिए लारी/डेना/ट्रेलर/
(प्राप्ति कन्द्र)

नाव/वैगन सं०

स नीचे लिखे पैकेज प्राप्त किए।

खाता

(पक्षकार का नाम)

टिप्पणियाँ

चिह्न	संख्या	वर्णन	मात्रा	(क्षति/कमी, यदि कोई हो, इस स्तम्भ में उल्लिखित की जाएगी)

तारीख, कलकत्ता

19.....के.....का

डाक प्रबन्धक

.....दिन

अधीक्षक जे० एण्ड० डब्ल्यू०

अधीक्षक टी० डब्ल्यू० एच०

अधीक्षक के० एफ०

अधीक्षक कोयला

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दीजिए।

कलकत्ता पत्तन न्यास

भाग III.—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42(2) के अधीन रसीद

अपरिष्कृत

रसीद सं० द्वारा पोत लदान के लिए डाक चालान
 (जलयान का नाम)
 सं० खाता द्वारा पर
 (पक्षकार का नाम) (प्राप्ति केन्द्र)
 लारी/टैला/ट्रैलर/वैगन/नाव सं० से अधोलिखित पैकेज प्राप्त किए गए।

टिप्पणियां

चिह्न	संख्या	वर्णन	भावा	टिप्पणियां (शक्ति/सभी; यदि कोई हो, इस स्तम्भ के अन्तर्गत उल्लिखित की जाएगी)

तारीख, कलकत्ता

19.....के.....का

.....दिन

डाक प्रबन्धक

अधीक्षक जे० एण्ड डब्ल्यू०

अधीक्षक कोयला

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दीजिए।

[सं० पी० जी० एल०-22/74-2]

G.S.R. 33(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2109—2112 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 453(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Madras.

2. Frequency of meetings.—(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, date and time of its meeting:

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing.

3. Calling of special meetings.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman if appointed may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

4. Circulation of agenda etc.—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees atleast three days before the date of the meeting:

Provided that in the case of a special meeting, such Agenda and notes or memoranda thereon shall be circulated atleast one day before the date of the meeting.

5. Discussion of items not included in the agenda.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman, if appointed may, at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. Poll.—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

7. Minutes of the meeting.—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof as the Chairman or, in his absence Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

Explanation.—For the purposes of this rule and rule 8, the expression "President" shall mean the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves.

8. Adjournment of meetings.—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later date which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[No. F. PGL-14/74]

सा. का. नि. 33(अ).—यतः मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिये प्रक्रिया) नियम, 1974 का प्रारूप महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पत्र) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 453 (अ) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2109-2112 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है ;

और यतः उक्त राजपत्र 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था ;

और यतः जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 है ।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड के अधिवेशनों में किए गए कारबार को लागू होंगे ।

2. अधिवेशनों की आवृत्ति.—(1) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक नमास में कम से कम एक बार होगा ।

(2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय अवधारित करेगा । परन्तु जहाँ किसी कारणवश बोर्ड ऐसा करने में असमर्थ है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके अध्यक्ष ऐसा कर सकेगा ।

3. विशेष अधिवेशनों का बुलाया जाना.—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, जब कभी वह आवश्यक समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कम तीन न्यासियों के लिखित अनुरोध पर वह ऐसा करेगा ।

4. कार्यसूची आदि का परिचालन आदि.—बोर्ड के किसी अधिवेशन के लिये कार्यसूची और उस पर टिप्पण या ज्ञापन यदि कोई हो अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किए जाएंगे ।

परन्तु विशेष अधिवेशन की वशा में एसी कार्यसूची और टिप्पण या ज्ञापन अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए जाएंगे ।

5. उन मर्कों पर विचार विमर्श जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं—अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविवेकानुसार, बोर्ड के अधिवेशनों में से जिसमें विषय अधिवेशन भी सम्मिलित हैं, किसी भी अधिवेशन में विचार विमर्श के लिए कार्यसूची में सम्मिलित भर्ती की गई किसी मद को उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की है या अति-आवश्यक है अथवा दोनों ही हैं और उसे किसी पञ्चातवर्ती अधिवेशन में बोर्ड के विचारार्थ रोकना नहीं जा सकता है ।

6. मतदान.—यदि किसी प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है, तो मत देने वाले न्यासियों के नाम तथा उनके मतों को प्रकृति अधिवेशन के सभापति द्वारा अभिलिखित की जाएगी ।

7. अधिवेशन के कार्यवृत्त.—(1) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए की जाएगी और उन पर, यथासाध्यशीघ्रता से ऐसे अधिवेशन के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह कार्यालय समय के दौरान किसी भी न्यायी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(2) कार्यवृत्त, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिए अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विशिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान, जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(3) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत्त-पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम तथा नियम 8 के प्रयोजनों के लिए "अध्यक्ष" पद से अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित न्यासियों में से उन्हीं द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा ।

8. अधिवेशनों का स्थगन.—अधिवेशन का सभापति, उसकी सहमति से, अधिवेशन ऐसी पञ्चातवर्ती तारीख तक स्थगित कर सकेगा जिसके बारे में या तो अधिवेशन में प्राख्यापित किया जाएगा या अधिवेशन की तारीख में कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को सूचित किया जाएगा ।

[सं० फ० पी- जी० एल०-14/74]

G.S.R. 34(E).—WHEREAS the draft of the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2113—2115 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 454(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the Board of Trustees of the port of Madras and also to the Committees set up by the Board from time to time.

2. Fees payable.—Every Trustee of the Board of Trustees of the port of Madras, other than the Chairman, the Deputy Chairman or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of—

(i) rupees twenty-five for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quorum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof:

Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any month shall not exceed rupees one hundred and fifty;

(ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any Committee, other than the meeting of the Committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

[No. F. PGL-4/74]

सा० का० नि० 34 (अ).—यतः मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्ता वा संदाय) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 454 (ड) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2113-2115 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है ;

और यतः उक्त राजपत्र 11 नवम्बर, 1974 को जनता की उपलब्ध कराया गया था ;

और यतः जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्ता वा संदाय) नियम, 1975 है।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन, मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड को तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित समितियों को भी लागू होंगे।

2. संवेद्य फीस.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसा कोई अन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है, से अलग, बोर्ड का प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हवादार होगा—

(i) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो और कारबार किया गया हो और, जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिए पचीस रुपए :

परन्तु किसी मास के दौरान हुए अधिवेशनों की बाबत किसी न्यासी की संवेद्य फीस को कुल रकम किसी भी दशा में एक सौ पचास रुपए से अधिक नहीं होगी ;

- (ii) बॉर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशन की अनुवर्ती या तेयारी में उसी दिन होने वाले समिति के अधिवेशन से भिन्न, किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में, जिसमें कारबार विद्या गन्ना हो और जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिए 15 रुपए।

[सं० फा० पी० जी० एल०-4/74]

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by section 128, read with section 42 and 43, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following first regulations, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These regulations may be called the Port of Madras (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Port Trust of Madras.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "Port" means the port of Madras;

(c) "section" means a section of the Act.

3. **Form of Receipt under sub-section (2) of section 42.**—Every receipt referred to in sub-section (2) of section 42 shall be given in the form annexed to these regulations.

4. **Period of responsibility and the period of notice under section 43.**—(1) No responsibility shall attach to the Board under section 43 after a period of seven clear working days from the date of taking charge of the goods by the Board, in respect of such goods.

(2) The notice of loss of, or damage to, the goods of which the Board has taken charge shall be given within a period of seven clear working days from the date of taking charge of such goods by the Board.

Explanation.—In computing the period of seven clear working days referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), account shall not be taken of the day of taking charge of the goods.

FORM

(See regulation 3)

MADRAS PORT TRUST

Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

Cargo handled by Gang No:.....Maistry.....

E.A. No..... S.B. No:.....

Landed

Loaded from Boats/direct

Shift I/II/III on.....

Tally of Cargo Ex s.s./m.v. at W.Q./C.Q./S.Q...../N.Q./E.Q./J.D.....

by Derrick No...... at Hatch No:.....subject to annotations in the remarks column hereunder

Crane

(if there be any apparent injury to the cargo, this is to be stated)—Contents and state of contents unknown

Steamer Agents Messrs:.....

Time commenced.....

Time finished.....

No. of hooks working in the hatches Import
Export

Sling No.	Time of		Cargo cleared	Description of packages	Marks and Numbers	Particulars of Tally	Total	Weight	Remarks
	Sling landed	Sling cleared						Kilos or T.CWT./Qr.	
	Formed	Lifted						Lbs.	

Signature of the Agent's Tally Clerk
For the Steamer Agents/Shipper's Representative.

Signature of the Tally Clerk
For the Trustees of the Port of Madras

सा० का० नि० 35 (अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42 और 43 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम बार निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये मद्रास पत्तन न्यास को लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ;

(ख) “पत्तन” से मद्रास पत्तन अभिप्रेत है ;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. धारा 42 की उप-धारा (2) के अर्धीन रसीद का प्रारूप.—धारा 42 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रसीद इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप में दी जाएगी।

4. धारा 43 के अर्धीन उत्तरदायित्व की अवधि और सूचना की अवधि.—(1) बोर्ड द्वारा माल के सम्भाल लेने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि के पश्चात् ऐसे माल की बाबत, धारा 43 के अर्धीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(2) उस माल की, जिसे बोर्ड ने सम्भाल लिया है, हानि या क्षति की सूचना बोर्ड द्वारा ऐसे माल के सम्भालने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि के भीतर दी जायेगी।

स्पष्टीकरण.—उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि की संगणना में, माल के सम्भालने का दिन नहीं गिना जाएगा।

बही सं०.....
क्रम सं०.....

ब्रह्म
(विनियम 3 देखिए)

महत्स परम न्यास

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 42 (2) के प्राचीन रसोद

रीग सं०..... द्वारा सम्भाला गया स्वोरा

नौनाओं से/सीधे उतारा गया/लादा गया

को I/II/III पारी

इसके नीचे टिप्पणी के स्तम्भ में अभ्युक्ति के अधीन रहते हुए फलका सं०.....

डब्ल्यू० क्यू०/सी० क्यू०/एम० क्यू०/एम० क्यू०/जे० डी० पर..... एक्स एस० एस०/एम० बी० द्वारा

के बाह्य द्वारा पर स्वोरे का अनुमेलन

(यदि स्वोरे को कोई प्रत्यक्ष धति हुई हो तो यह बताया जाएगा)

मिस्त्री.....
ई० ए० सं०.....

एम० बी० सं०.....

एक्स एस० एस०/एम० बी०

अन्तरविष्टियां और अज्ञात अन्तरविष्टियों की दशा

वाधपेठ अभिकर्ता मैसर्स

प्रारम्भ करने का समय

फलकों में चल रही हुक्कों की सं०

अयात/निर्यात

महापत्र करने का समय

स्विंग सं०	उतारे गए/बनाए गए स्विंग	साफ किए गए/ उठाए गए स्विंग	पैकेजों का वर्णन	चिह्न और संख्या	अनुमेलन की विशिष्टियां	बोर्ड	भार	टिप्पणियां
------------	-------------------------	----------------------------	------------------	-----------------	------------------------	-------	-----	------------

का समय

किलो या टन
हण्डबैट, क्वार्टर
पीण्ड

अभिकर्ता के अनुमेलन लिपिक के हस्ताक्षर
कृते वाष्पयोन अभिकर्ता/पोतबाहक प्रतिनिधि

अनुमेलन लिपिक के हस्ताक्षर
कृते मद्रास पत्तन न्यासी

[सं० गी० पत्र०-22/74-III]

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby fixes rupees one thousand and four hundred as the amount in the maximum of the pay scale (exclusive of allowances) for the purposes of the said clause.

[No. F. PGL-72/74]

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

का० नि० घा० 36(घ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 27 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए एक हजार चार सौ रुपये की रकम को वेतन-मान (भत्तों को छोड़कर) की अधिकतम रकम के रूप में नियत करती है।

[सं० फा० पी० जी० एल०-72/74]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव।

